WWW.JAGRANJOSH.COM

यूपीपीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा 2012

ओ.एम.आर. आवेदन पत्र डाकघरों के माध्यम से दिनांक 28 जनवरी, 2012 से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन-पत्रों की बिक्री तथा जमा करने की अन्तिम तिथिः 24 फरवरी, 2012

अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

इस विज्ञापन क्रा विस्तृत रुप आयोग के वेब-साईट http://www.uppsc.org.in पर भी उपलब्ध है। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है तथा अभ्यर्थियों को उक्त ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्रत्येक जिले के मुख्य डाकघर अथवा उनके द्वारा निर्देशित डाकघरों से जिनकी सूची क्रम सं. 9(2) के नीचे दी गयी है मूल्य के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त आवेदन पत्र का निर्धारित मूल्य PREGEN (सामान्य, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग, तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये) सीरीज रु. 155/- एवं PRERES (उ.प्र. के अनुसूचित जाति तथा उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के लिए) सीरीज रु.95/- है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उ.प्र0. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे परन्तु उत्तर प्रदेश के समाज के विकलांग अभ्यर्थी PREPH सीरीज का फार्म जिसका मूल्य रु0 55/- मात्र (फार्म सेट का मूल्य रु0 25/- + डाक व्यय रु0 30/-) है, ही क्रय कर आयोग को प्रेषित करेंगे। 2.अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति करवा कर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार में उक्त ओ.एम.आर. फार्म नं. का उल्लेख अवश्य करें।

नोटः विकलांग श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी यदि विकलांगता का लाभ चाहते हैं तो PREPH सीरीज का फार्म ही आयोग को प्रेषित करेंगे।

1.उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगे। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

2. रिक्तियों की संख्या : "वर्तमान में रिक्तियों की अनुमानित संख्या 100 है। शासनादेश संख्या 15/42/198-का-4-2003, दिनांक 28 जून 2003 के प्राविधानुसार वेतनमान रु0 5500-9000 (पुराना वेतनमान) तथा उच्च वेतनमान के पदों को प्रश्नगत परीक्षा में विनिर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत सम्मिलित किये जाने वाले सम्भावित पदों का विवरण इस प्रकार है-

सहायक लेखाधिकत्री (कोषागार), कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर, (वाणिज्य कर), कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उपसचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय रासनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर, जिला बचत अधिकत्री, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, अधिशासी अधिकारी (नगर विकास), खण्ड विकास अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2, अपर जिला विकास अधिकारी, (सक), अधीक्षक कारागार, यात्री/माल कर अधिकारी, प्रबन्धक (ऋण), लघु उद्योग प्रबन्धक (विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण), लघु उद्योग, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सहायक सेवायोजन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/ सहायक नगर आयुक्त, सहायक लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उपनिबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-2, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-1 व अधीक्षक राजकीय उद्यान, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह "ख" (विकास शाखा), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्राशनिक अधिकारी, जिला लेखापरीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-1), सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

उपर्युक्त में से वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सहायक लेखाधिकत्री (कोषागार), सहायक निबन्धक, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-1, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-2, तथा पुलिस उपाधीक्षक के पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। शेष जिन पदों का अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जायेगा, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं। अतः रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।"

3. आरक्षण : उ.प्र. के अनुसूचित जातियों / उ.प्र. के अनुसूचित जनजातियों/उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासनादेशों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा - उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/उ.प्र. के महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ.प्र. के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर ही आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट : (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) उ.प्र. के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों हेतु समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता होने की दशा में अद्यतन शासनादेशों के अनुसार 5 प्रतिशत का आरक्षण देय है।

4. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता की शर्तें :** (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या- 22/10/1976-कार्मिक - 2,85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं : (1) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (2) ऐसे आवेदकों को यथा-समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि - (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ है। (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अवमुक्त हुआ हो।

5. **वैवाहिक प्रास्थिति :** ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

6. **शैक्षिक अर्हता :** आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में करें किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं जिसका विवरण निम्नवत है-

उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	विधि स्नातक
जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-2, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-1 व अधीक्षक राजकीय उद्यान, जिला उद्यान अधिकारी	उद्यान में विज्ञान स्नातक (कृषि), बी.एस.सी. कृषि या उद्यान विषय में समकक्ष उपाधि
जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा)	कृषि स्नातक
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी	स्नातकोत्तर उपाधि
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग)	वाणिज्य स्नातक
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-1)	एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि
सहायक निदेशक उद्योग (विपणन)	कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि।
सहायक श्रमायुक्त	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक।
जिला कार्यक्रम अधिकारी	समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि।
वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक
जिला प्रोबेशन अधिकारी	मनोविज्ञान या सामज शास्त्र या समाजिक कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

उक्त अर्हताओं का भी उल्लेख ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ अनुदेश में दिया गया है, का भी अंकन ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अवश्य करें। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक है। अतः जो अभ्यर्थी इस पद हेतु शैक्षिक अर्हता "शिक्षा स्नातक" धारित करते हों वे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के कॉलम 9.1 (ii) (i से (6) में शैक्षिक अर्हता कोड संख्या "23" का उल्लेख करें तथा स्नातकोत्तर की अर्हता 9.1 (i) में दें, ताकि ऐसे अर्हता वाले पदों के उपलब्ध होने पर उनके सापेक्ष इनका अभ्यर्थन निर्धारित किया जा सके।

7. **<u>आयु सीमा</u> : (1)** अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2012 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1977 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1991 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) <u>अधिकतम आयु सीमा में छूट</u> : (क) उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल उ.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी। **(ख)** उ.प्र. के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिसूचित/चिन्हित पदों की उपलब्धता की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलेक्टर पद हेतु ऐसे आवेदकों को अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का विकलांगता प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि उनकी शारीरिक अक्षमता इस प्रकार की नहीं है जो इस सेवा के कर्त्तव्यों के पालन में बाधक हो। **(ग)** आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह 'ख' हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु समूह 'ख' के पदों हेतु आरक्षण नहीं होगा। परीक्षा में समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। **(घ)** शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 05 वर्ष अधिक होगी। कुशल खिलाड़ी अपने प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लें तथा उनसे जब माँग की जाय तो आयोग को प्रस्तुत करें और मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

8. **<u>शुल्क</u> : (1)** प्रारम्भिक परीक्षा हेतु शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन पत्र के मूल्य के साथ लिया जायेगा जिसके लिफाफे पर सम्पूर्ण विवरण अंकित है। अभ्यर्थी को अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना है। **(2)** मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क : मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु सफल सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रु. 230/- तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र.के अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 110/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ.प्र. के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उ.प्र. के सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य वियोजित कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस मुख्य श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ जमा करना होगा।

9. **<u>आवेदन-पत्र का स्वरूप</u> : (1)** इस स्तर पर आवेदन-पत्र केवल प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आमंत्रित किये जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र, जो उन्हें आयोग द्वारा भेजे जायेंगे, पर पुनः आवेदन करना होगा। **(2) आवेदन कैसे करें :** प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ओ. एम. आर. आवेदन-पत्र निर्देशों सहित विज्ञापन की तिथि से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि तक निम्नलिखित जिलों के प्रधान/उप डाकघरों से PREGEN (सामान्य उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के बाहर के राज्यों के सभी अभ्यर्थियों द्वारा) रु. 155/- तथा PRERES (उ.प्र. के अनु. जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा) रु. 95/- का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले, उ.प्र.के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे परन्तु उ0 प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थी PREPH सीरीज का फार्म क्रय करेंगे। अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश अवश्य प्राप्त कर लें।

<u>डाकघरों की सूची</u> : 1. इलाहाबाद (जी.पी.ओ.) **2.** इलाहाबाद (कचहरी) **3.** इलाहाबाद (दारागंज) **4.** इलाहाबाद (कैंवेलरी लाइन) **5.** इलाहाबाद (सिटी) **6.** आगरा, **7.** अलीगढ़ **8.** अम्बेदकर नगर (अकबरपुर) **9.** औरैया **10.** आजमगढ़ **11.** बदायूँ **12.** बागपत **13.** बहराइच **14.** बलरामपुर **15.** बलिया **16.** बाँदा **17.** बाराबंकी **18.** बरेली **19.** बस्ती **20.** बिजनौर **21.** बुलन्दशहर **22.** चन्दौली **23.** चित्रकूट (कर्वी) **24.** देवरिया **25.** एटा **26.** इटावा **27.** फैजाबाद **28.** फर्रुखाबाद **29.** फतेहपुर **30.** फिरोजाबाद **31.** गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) **32.** गाजियाबाद **33.** गाजीपुर **34.** गोंडा **35.** गोरखपुर **36.** हमीरपुर **37.** हरदोई **38.** हाथरस **39.** जालौन (उरई) **40.** जौनपुर **41.** झाँसी, 42. अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर) **43.** कन्नौज **44.** कानपुर (जीपीओ) **45.** कानपुर (कैन्ट) **46.** कानपुर (नवाबगंज) **47.** कौशाम्बी **48.** पडरौना **49.** लखीमपुर खीरी **50.** ललितपुर **51.** लखनऊ (जी.पी.ओ.) **52.** लखनऊ (चौक) **53.** महाराजगंज **54.** महोबा **55.** मैनपुरी **56.** मथुरा **57.** मऊ **58.** मेरठ **59.** मिर्जापुर **60.** मुरादाबाद **61.** मुजफ्फर नगर **62.** पीलीभीत **63.** प्रतापगढ़ **64.** रायबरेली **65.** रामपुर **66.** सहारनपुर **67.** खलीलाबाद (संतकबीर नगर) **68.** भदोही (संत रविदास नगर) **69.** शाहजहाँपुर **70.** श्रावस्ती **71.** सिद्धार्थ नगर **72.** सीतापुर **73.** सोनभद्र (राबर्ट्सगंज) **74.** सुल्तानपुर **75.** उन्नाव **76.** वारापसी **77.** वाराणसी (कैन्ट)।

10. **O.M.R. आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश :** (1) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। (2) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन पत्र के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हों) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

11. **संलग्नक :** अभ्यर्थी नवीनतम् पासपोर्ट आकार की स्वप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अच्छी तरह से चिपकायें। उक्त अनुदेश का पालन न करने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : प्रारम्भिक परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के विभिन्न स्तम्भों में अंकित सूचना के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

12. **ओ.एम.आर. आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि :** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र सचिव (विज्ञापन संख्या-ए-1/ई-1/2012) लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 10 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद-211018, को **दिनांक 24 फरवरी, 2012 को 5.00 बजे अपरान्ह तक अथवा उसके पूर्व रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रुप से हाथो-हाथ अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग** हमारा एजेन्ट नहीं है। फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

13. **मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएँ :** (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। (2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। (4) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे। (5) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा। (6) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय माँगी जायेंगी जो अंतिम होगी और तत्पश्चात उनमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। (7) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित चार पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (दो स्वप्रमाणित तथा दो राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्तिम शैक्षिक संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित) भी प्रस्तुत करना होगा। (8) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (9) जिन पदों की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उनकी सेवा नियमावलियों में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनो का उल्लेख है उन पदों के लिए मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है।

नोट : अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :** (1) उ.प्र. लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं एवं चयनों में 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगें। (3) किसी अभ्यर्थी द्वारा इस परीक्षा हेतु अपने नाम से एक से अधिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर उसके सभी आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (4) आवेदन-पत्रों को स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (5) आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी अथवा वैकल्पिक विषय में परिवर्तन अनुमन्य नहीं हैं। (6) आयोग सभी आवेदन-पत्रों की, प्राप्ति स्वीकार करेंगे। आयोग कार्यालय में जमा किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रस्तुतिकरण के समय काउन्टर पर दी जाती हैं, प्राप्ति की रसीद अभ्यर्थी अवश्य प्राप्त करें। (7) अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र तथा ऐसे आवेदन-पत्र जिन पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। (8) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण-पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (9) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की अभिप्रमाणित प्रति (जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्तिम शैक्षिक संस्था के प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो) संलग्न करना होगा। दावे की पुष्टि में प्रमाण-पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र अभिप्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(10) निर्धारित प्रारुप से भिन्न प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (11) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समस्त स्तम्भों को स्पष्ट रूप से भरें। आवेदन पत्र में दर्शाया गया विवरण अपठनीय, अस्पष्ट और भ्रामक होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (12) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात इसका मूल्य वापस नहीं किया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा चाहे उसका उपयोग किया जाय अथवा नहीं। (13) अभ्यर्थी आवेदन पत्र का कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, (14) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो) प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (15) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश-पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन अनुमन्य नहीं हैं। (16) जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (17) आवेदन-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर तथा त्रूटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, आवेदन पत्र में वैकल्पिक विषय का उल्लेख न करने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (18) आयोग, आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (19) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने , अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य आवंछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस निर्देश की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है। (20) अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी तत्परता से आयोग को पंजीकृत डाक से सूचित करें। (21) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) तथा ओ.एम.आर. फार्म नं. का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (22) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (23) इस परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों का लगभग 18 गुना तक अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु लगभग 3 गुना तक अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। (24) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। (25) स्केलिंग पद्धति लागू रहेगी। (26) ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।(27) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में ''केवल काले बाल प्वाइन्ट पेन का प्रयोग करें''। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (28) उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा सही-सही सूचनाएं काले बाल प्वाइन्ट पेन से भरी जायें। ''उत्तर पत्रांक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नही जाये।''

15. **शारीरिक मापदण्ड** : शारीरिक मापदण्ड वाले पद जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार आदि उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली/अधियाचन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा।

परिशिष्ट - 1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार है :
आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, इटावा, फैजाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी।

परिशिष्ट - 2

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................सुपुत्र/सुपुत्री श्री.............................निवासी ग्राम.................. तहसील.........................नगर.......................जिला.......................उत्तर प्रदेश राज्य की..............................जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...............................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के............................ग्राम.........................तहसील ....नगर..........................जिला....................मे सामान्यतया रहता है।

स्थान........................ हस्ताक्षर......................................

दिनांक........................ पूरा नाम......................................

मुहर........................ पद का नाम..................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्ररुप-1

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................सुपुत्र/सुपुत्री श्री.............................निवासी ग्राम.................. तहसील.........................नगर.......................जिला.......................उत्तर प्रदेश राज्य की.....................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...............................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम........................तहसील.........................नगर ....जिला..........................मे सामान्यतया रहता है।

स्थान........................ हस्ताक्षर......................................

दिनांक........................ पूरा नाम......................................

मुहर........................ पद का नाम..................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

उ.प्र. के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No................................ Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board.

This is certified that Shri/Smt/Kum...

son/wife/daughter of Shri...age......................

sex................identification mark (S)..is suffering from permanent disability of following category:

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of........year.........months.

3. Percentage of disability in his/her case is.................percent.

4. Sh./Smt./Kum. ....meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v) B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/HQ
Hospital (with seal)

*Strike out which is not applicable.

उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................................निवासी...................................ग्राम.......................... तहसील............................नगर..........................जिला..........................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)...................के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर...

स्थान.............................

पूरा नाम...

दिनांक.............................

मुहर...

जिलाधिकारी....................................

सील...

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्ररुप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम.................................. राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.........................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..............................निवासी.................... पूरा पता........................... ने दिनांक ....से दिनांक ....तक.......................(स्थान का नाम) में आयोजित ....(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)........................ में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.............................

हस्ताक्षर.............................

दिनांक.............................

नाम.................................

पद.................................

संस्था का नाम.......................

मुहर.................................

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्ररुप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)................................. राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..................................निवासी (पूरा पता) ....ने दिनांक ....से दिनांक ....तक...................... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम ....आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.............................. स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र ....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.............................

हस्ताक्षर.............................

दिनांक.......................... नाम..................................

पद..................................

संस्था का नाम......................

पता..................................

मुहर..................................

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्ररूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम..........................राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री............................... निवासी (पूरा पता) ....विश्वविद्यालय की कक्षा...................... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक...................... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ....(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामिन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामिन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद............विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.......................... हस्ताक्षर..........................

दिनांक.......................... नाम..................................

पद..................................

संस्था का नाम......................

मुहर..................................

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्ररूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश.........................राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री............................... निवासी (पूरा पता) ....में ....स्कूल में कक्षा...................... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक...................... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ....(क्रीड़ा/खेल -कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामिन्ट में...................स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामिन्ट में......................स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाप-पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा मे उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.......................... हस्ताक्षर..........................

दिनांक.......................... नाम..................................

पद..................................

संस्था का नाम......................

मुहर..................................

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।